राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(16)न्याय/2022 जयपुर, दिनांक

:: आज्ञा ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर नियुक्ति की अभिशंसा के आधार पर कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा–2023 की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को निम्न अधिसूचनाओं में अंकित प्रावधानों के अनुसार कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(5)डीओपी/ए–2/17 दिनांक 15.05.2018 के अधीन अस्थायी रूप से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता हैः–

वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचनाएंः–

i. एफ.12(6)एफ.डी./रूल्स/05/ दिनांक 13.03.2006
ii. एफ.16(2)एफ.डी./रूल्स/98/ दिनांक 13.03.2006
iii. एफ.13(1)एफ.डी./रूल्स/03/ दिनांक 13.03.2006
iv. एफ.6(6)एफ.डी./रूल्स/05/ दिनांक 13.03.2006
v. एफ.16(5)एफ.डी./रूल्स/98/ दिनांक 13.03.2006
vi. एफ.1(2)एफ.डी./रूल्स/06/ दिनांक 13.03.2006
vii. एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/17/ दिनांक 30.10.2017

तथा कार्मिक विभाग की अधिसूचनाएंः–

i. प.7(2)कार्मिक/ए–11/2005 दिनांक 20.01.2006
ii. प.7(3)कार्मिक/क–2/2006 दिनांक 30.06.2006

S. No.	Merit No.	Roll No.	Category	Name (Mr./Smt./Miss)	Birth Date	Photo
1.	35	2058409	BC	KUMERDAN	15.09.1978	
2.	118	2003750	GE, BL	RITESH PATNI	07.04.1993	

उक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अध्यधीन होगीः–

1. अभ्यर्थी को पदस्थापन आदेश जारी होने की दिनांक से 21 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 21 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को [illegible] प्रभाव से [illegible] नहीं

Signature valid
Digitally Signed by Ankit Raman
Designation : Joint Secretary
Date: 2024.09.05 17:46:04 IST
Reason: Approved

सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

2. परिवीक्षाधीन अवधि में अभ्यर्थियों का आचरण एवं कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा अन्य प्रशासनिक कारणवश अभ्यर्थी की राजकीय सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
3. इनकी वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम में रहेगी।
4. यह नियुक्ति सेवा नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अध्यधीन होगी। इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, F.14(1)FD/RULES/2013PT दिनांक 08.06.2015 एवं एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/17/ दिनांक 30.10.2017 तथा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक देय होगा। कनिष्ठ विधि अधिकारी का पे–बेण्ड नं.–2 9300–34800 ग्रेड पे नं.–11 – 3600 LEVEL-10 के अन्तर्गत नियुक्ति दी गई है, जो परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण होने पर नियमित वेतनमान देय होगा।
5. कार्यग्रहण करने वाले अभ्यार्थियों को कार्यग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
6. पूर्वाचरण की जांच एवं चरित्र से संबंधित भविष्य में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/सूचना प्राप्त हुई तो इनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

उक्त अभ्यार्थियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जा रहे है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
5. संबंधित विभाग।
6. संबंधित कनिष्ठ विधि अधिकारी।
7. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Ankit Raman
Designation : Joint Secretary
Date: 2024.09.05 17:46:04 IST
Reason: Approved